UPGK010064412026

न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–2881/2026

संजय यादव पुत्र दिलराज यादव उम्र 36 वर्ष निवासी बेलपार, बेलापार थाना– बड़हलगंज, जिला– गोरखपुर, उ०प्र०।

.....आवेदक/अभियुक्त,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य **.....प्रतिपक्षी,**

मुकदमा अपराध सं0–32/2026,
धारा–318(4),338,336(3),316(2),352, 351(3) भा0 न्याय सं0
थाना–बड़हलगंज, जनपद–गोरखपुर।

आदेश

1. अग्रिम जमानत का यह प्रार्थना–पत्र, आवेदक/अभियुक्त संजय यादव के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो अपराध सं0–32/2026, धारा–318(4),338,336(3),316(2),352, 351(3) भा0 न्याय सं0 थाना–बड़हलगंज, जनपद गोरखपुर के प्रकरण में वांछित अभियुक्त है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमागण कृष्णा साहनी, अमन साहनी, जयसिंह यादव, राकेश यादव, रजनीश साहनी यह सभी लोग बेरोजगार थे रोजगार के तलाश में हमारी बातचीत फरवरी माह 2025 में सचीन मौर्या एवं संजय यादव से हुई तो उक्त लोगों की हम लोग आप लोगों को 980 यू०एस०ए० डालर पर (अजरबैजान) भेज दिया जाएगा। जिसमे एडवांस में सभी लोगों से नगद 50,000/– रु0 जमा कर लिया गया तथा कुछ दिन बाद पुनः फर्जी कूट रचित एअर टिकट व विजा (एग्रीमेंट लेटर) दिखा कर सभी लोगो से क्रमशः 1. 210000/–2. 170000/– 3. 1–140000 4.1–150000/– रु0 जमा करा लिया गया (गुगल) से और (आर.टी.जी.एस.) के माध्यम से ले लिया, लेकिन नियत समय पर फ्लाईट न होने पर सभी को संन्देह हुआ हम लोग अपना पैसा मांगने लगे तो उक्त लोगों ने सचिन मौर्या, संजय यादव पैसा देने को लेकर कई तारीख रखे पर नियत सही नहीं होने के कारण पैसा वापस नहीं किये और दिनाँक 12.10.2025 समय करीब 5.00 बजे उक्त लोग गाली गुप्ता देते हुए बोले कि पैसा तो छोड़ो जो उखाड़ना है उखाड़ लो, ज्यादा बोलोगे तो तुम लोगो कि हत्या करा देंगे मेरा थाना कोर्ट कचहरी कुछ नहीं करेगी।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक/अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त को मात्र राजनितिक गुटबंदी के कारण इस मुकदमे में अभियुक्त बना दिया गया है। वादी मुकदमा द्वारा 980 यू०एस०ए० डालर लेकर अजरबैजान भेजने की बात कही गयी है जबकि वादी मुकदमा द्वारा यह भी बताया गया है कि बतौर 50,000/–रू०

एडवान्स किसके द्वारा लिया गया है, यह स्पष्ट नहीं है। वादी मुकदमा द्वारा सम्पूर्ण रूपया का लेन–देन जरिये यू०पी०आई० व आर०टी०जी०एस० के माध्यम से बताया गया है परन्तु आवेदक/अभियुक्त के बैंक एकाउन्ट मे इस प्रकार का लेन–देन का कोई रिकार्ड नहीं है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कभी भी वादी मुकदमा को विदेश भेजने के नाम पर किसी प्रकार का कोई प्रलोभन या वादा नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त बैंकाक में अपना रोजी–रोजगार कर रहा है और आवेदक/अभियुक्त को जब इस मुकदमे की जानकारी हुई तो आवेदक/अभियुक्त काफी डरा एवं सहमा है। इस मुकदमे के सह–अभियुक्त सचिन मौर्या द्वारा उक्त लोगों से धनादोहन किया गया है और आवेदक/अभियुक्त का जो उक्त धनराशि घर बनवाने के एवज में ली गयी थी वही रूपया सचिन मौर्या द्वारा आवेदक/अभियुक्त को दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त का उत्तर प्रदेश या अन्य किसी राज्य में आपराधिक इतिहास नहीं है। इन समस्त आधारों पर उन्होंने आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

4. अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र का प्रबल विरोध एवं खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिलकर विदेश भेजने के नाम पर वादी मुकदमा व अन्य का कई लाख रुपया हड़प लिया गया है। कथित अपराध में आवेदक/अभियुक्त की सक्रिय भूमिका रही है। तद्नुसार उन्होंने अपराध की प्रकृति को गम्भीर होना बताकर अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5. मैंने अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के विद्वतापूर्ण तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

6. आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी में नामित है। आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिलकर विदेश भेजने के नाम पर वादी मुकदमा व अन्य लोगों का 6.5 लाख रुपया हड़पने का गंभीर अभियोग लगाया गया है। मामले से सम्बन्धित केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि विवेचक द्वारा धारा–180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत वादी मुकदमा का बयान लेखबद्ध किया गया है जिसमें उन्होंने प्राथमिकी में उल्लिखित कथनों का समर्थन करते हुए कथित अपराध में आवेदक/अभियुक्त व सह–अभियुक्त की विशिष्ट भूमिका व भागिता के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से कथन किया है। इस स्तर पर आवेदक/अभियुक्त को प्रश्नगत घटना में मिथ्यारोपित किये जाने का कोई ठोस एवम् न्यायोचित आधार विद्यमान नहीं है। आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत तर्क एवम् बचाव में अभिकथित तथ्य साक्ष्य एवम् विचारण का विषय है। अतएव मामले के गुण–दोष पर अपनी कोई अन्तिम राय व्यक्त किये बिना, इस मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की गम्भीरता तथा आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

7. निष्कर्षतः आवेदक/अभियुक्त संजय यादव की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 18.07.2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O. Code–[illegible]

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.07.18 16:20:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court